

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजगहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239

web- www.lsgraj.org

E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/18/202-392

दिनांक 19/01/2018

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
राजस्थान, (समस्त)।


विषय:- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान(नगरीय) द्वितीय चरण शुभारंभ कार्यक्रम दिनांक 20.01.2018 से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की जाने वाली सम्बन्धित आई.ई.सी गतिविधियां MJSA (URBAN) पोर्टल पर अपलोड करेंगे हेतु।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ (55)/CE/dLB/MJSA-II/2018/ 3200-3950 दिनांक 12.01.2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शुभारंभ कार्यक्रम (Launching Event) दिनांक 20.01.2018 को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आयोजित किया जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। साथ ही आई.ई.सी गतिविधियां सम्पादित करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। शुभारंभ कार्यक्रम से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की आई.ई.सी गतिविधियों को MJSA (URBAN) पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण में शुभारंभ कार्यक्रम (Launching Event) दिनांक 20.01.2018 दिनांक से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की जाने वाली आई.ई.सी गतिविधियों को अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

शुभारंभ कार्यक्रम (Launching Event) दिनांक 20.01.2018 की जाने वाली आई.ई.सी गतिविधियों को दिनांक 20.01.2018 को ही MJSA (URBAN) पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय व माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण को सूचना संकलित कर प्रेषित जा सके।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/18/393-453

दिनांक 19/01/2018

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
6. जिला कलक्टर (समस्त)।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
9. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) को गेजकर लेख है कि अपने स्तर पर मॉनीटर करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10. उपनिदेशक (प्रशासन) एवं मुख्यालय स्तरीय नोडल अधिकारी, एमजेएसए (नगरीय), डीएलबी।
11. अधीक्षण अभियंता, नगर निगम अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आइटी प्रकोष्ठ, निदेशालय को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता